

250

न्यायालय समक्ष सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगा/2817/II/15



- 1- रामानुज पटेल तनय प्रभुनाथ पटेल निवासी ग्राम पटेहरा थाना व तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.आवेदक

बनाम

- 1- कौशल प्रसाद पटेल तनय श्री प्रभु उर्फ प्रभुनाथ पटेल निवासी ग्राम पटेहरा तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल पहाडी (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) दिनांक 05.07.2014 जरिए राजस्व प्रकरण कमांक 30 अ 12/वर्ष 2013-14 बाबत पुष्ठीकरण सीमांकन आदेश, आराजी ख. कमांक 1866/1, रकबा 0.02 ए. तथा खसरा क. 2573/1 ड./0.49 ए. स्थित ग्राम पटेहरा ज.नं. तह. हनुमना जिला रीवा, निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र.भू.रा.सं. वर्ष 1959

श्री. कौशल प्रसाद पटेल
द्वारा लाया दिनांक 9-7-15
प्रस्तुत किया गया
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित है -

- 1- यह कि मातहत अधिकारी (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) द्वारा सम्पन्न की गई सीमांकन कार्यवाही खिलाफ, विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।
- 2- यह कि मातहत अधिकारी राजस्व निरीक्षक (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क. 1866/1, 2573/ 1ड./0.49 ए. स्थित ग्राम पटेहरा ज. नं. के सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण तथा धारा 129 म.प्र.भू.रा.स. वर्ष 1959 के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार नहीं है। अना. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में सरहद्दी काश्तकारों के बाबत कोई विवरण दर्ज नहीं था तथा दूषित था। उस पर कोई कार्यवाही सम्पन्न किया जाना उचित

20


.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.2817-II/15

जिला-रीवा

रामानुज पटेल / कौशल प्रसाद पटेल

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	